XIV-Form No. 563.

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

2/9/11

# न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
## वासगीत पर्चा वाद संख्या–27/2009
### धारा 21 B.P.P.H.T. Act अन्तर्गत

सीताराम मेहरा, पिता–स्व0 गणेशी मेहरा, साकिन–काझा, थाना–के0 नगर, जिला– पूर्णियाँ.....

आवेदक

## बनाम्

1. श्रीमती सावित्री देवी, पति–अर्जुन राम, साकिन–काझा, थाना–के0 नगर, जिला– पूर्णियाँ
2. राज्य.....

विपक्षी

## आ दे श

अंचलाधिकारी, के0 नगर द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या–11/2008–09 में दिनांक 15.06.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह वाद प्रारम्भ किया गया है।

मौजा–काझा, खाता संख्या–294, खेसरा संख्या–6525, रकवा–8 डिसमिल जमीन आवेदक के पिता के नाम से दर्ज है। पिता की मृत्यु के बाद एकमात्र वारिस आवेदक उक्त जमीन पर दखलकार है। विपक्षी आवेदक के उपरोक्त जमीन में से 5 डिसमिल जमीन का पर्चा अपने नाम से बनवा लिया।

आवेदक का कथन है कि वह स्वंय भूमिहीन है और उपरोक्त जमीन के अतिरिक्त और कही जमीन नहीं है, जबकि विपक्षी के ससुर के नाम से प्रश्नगत जमीन के सीमा पर ही खेसरा संख्या–6527 जमीन है। अंचल कार्यालय को मेल में लेकर विपक्षी ने पर्चा अपने नाम बनवा लिया है। विपक्षी ने अपने आवेदन में लिखा है कि आवेदक को प्रश्नगत जमीन के अतिरिक्त भी अन्य जमीन खाता संख्या–1, खेसरा नं0–2, 4, 18, 19 एवं खाता संख्या–1087, खेसरा संख्या–6558 में कुल रकवा– 3.14 एकड़ जमीन है। अर्थात् आवेदक भूमिहीन नहीं है। इस संबंध में आवेदक ने अंचलाधिकारी से उपरोक्त भूमि का जमाबन्दी का विवरण प्राप्त कर अभिलेख में संलग्न किया है। जिसमें जमाबन्दी अलग–अलग व्यक्ति के नाम से है। आवेदक का कथन है कि अंचल कार्यालय द्वारा पर्चा निर्गत करने से पूर्व आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया है।

आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन एवं आवेदक के अधिवक्ता को सुनकर उचित न्याय करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि प्रश्नगत जमीन सर्वे के पूर्व उनके पूर्वज का था। आवेदक अपनी चालाकी से सर्वे में प्रश्नगत जमीन अपने पिता के नाम करवा लिया। जबकि विपक्षी का घर पूर्वज के समय से ही प्रश्नगत जमीन पर है। विपक्षी का कथन है कि आवेदक भूमिहीन नहीं है बल्कि आवेदक के पिता के नाम से खाता संख्या–1, खेसरा नं0–2, 4, 18, 19 एवं खाता संख्या– 1087, खेसरा संख्या–6558 में कुल मिलाकर 3.14 एकड़ जमीन है। अंचलाधिकारी द्वारा पर्चा निर्गत करने के पूर्व सभी आवश्यक प्रकियाओं का पालन किया गया है।

अतः निवेदन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

XIV-Form No. 563.

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

अंचलाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पर्चाधारी जमीन मालिक की सहमति से प्रश्नगत जमीन में घर बना कर रह रही है। इस घर के अतिरिक्त पर्चाधारी को अन्यत्र कही जमीन नहीं है। यदि वासगीत पर्चा वाली जमीन से पर्चाधारी को बेदखल किया गया तो पर्चाधारी बेधर हो जायेंगे।

पूर्व से निर्धारित तिथि दिनांक 15.04.2011 को दोनो पक्षों को सुना गया। आवेदक का कहना था कि विद्वान अंचलाधिकारी द्वारा कोई सूचना निर्गत नहीं किया गया एवं नापी भी नहीं किया गया। विवादित जमीन उन्हें वासगित पर्चा के अधीन मिलने की बात की गई। विपक्षी का कथन हे कि आवेदक के द्वारा अपनी जमीन वासगित पर्चा के अधीन प्राप्त होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को विधिवत् सूचना तामिला कराया गया है, इसे आवेदक द्वारा इन्कार नहीं किया गया।

दिनांक 02.09.2011 को पुनः सुनवाई हेतु रखा गया।

उपर्युक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के उपरान्त स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है एवं इस पर किसी तरह का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ